न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 30/2011 **(225 आर.टी.एक्ट)**
अपील सं0 :– 31/2011 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. बाला पुत्र श्री हिम्मत जाति मेव, निवासी ग्राम मांदला कलां तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

.....अप्रार्थी अपीलांट

बनाम

1. जगरूप पुत्र श्री जुम्मा,
2. सगरू पुत्र श्री जुम्मा,
3. लल्लू पुत्र श्री जुम्मा,
4. खिल्लू पुत्र श्री जुम्मा,
5. पप्पू पुत्र श्री जुम्मा,
6. मैमूना पत्नि स्व0 समसू,
7. बसमीना पुत्री स्व0 समसू नाबालिग जर्ये सरपरस्त माता बसमीना बेवा समसू जाति जोगी, निवासीयान ग्राम मांदला कलां तहसील रामगढ जिला अलवर राज0।

.....प्रार्थीगण/ रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित :–
1. श्री राकेश कुमार यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0।

::: निर्णय :::

दिनांक :–28.02.2020

यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 23.02.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीलों के पक्षकारान एवं तथ्य समान होने के कारण निर्णय एक साथ किया जा रहा है।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत के समक्ष रेस्पो0 ने एक दावा अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया और कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 106 रकबा 0.16 व 115 रकबा 0.76 है0 वाके ग्राम मांदला कलां तहसील रामगढ पर उनका कब्जा मृतक

समसू पुत्र जुम्मा स.भाग के वारिसान के तौर पर गैरखातेदारी में दर्ज है। जिस कस्टोडियन काश्त की भूमि पर अरसे दराज से प्रार्थीगण काबिज हैं। समसू फौत हो जाने के बाद प्रार्थीगण 5 लगायत 6 बहैसियत वारिस काबिज है। जिनका 1/5 हिस्सा व अन्य प्रार्थीगण का 1/5–1/5 हिस्सा है, जो आराजी अभी अबट है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते हैं, कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 जा.दी स्वीकार कर दिनांक 23.02.2011 को निर्णय पारित किया है। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट बाला ने तहत अदालत में वाद पत्र इश्तकरारहक व हुक्मईम्तनाईदवामी के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें यह कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 114 रकबा 0.05, 115 रकबा 0.76 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 95 रकबा 04 बिस्वा व 96 रकबा 3 बीघा थे, इससे पूर्व साबिक खसरा नंबर 95 रकबा 4 बिस्वा का साबिक नंबर 94 रकबा 4 बिस्वा व 96 रकबा 3 बीघा का साबिक खसरा नंबर 95 रकबा 2 बिस्वा, 95/1 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा व 96 रकबा 12 बिस्वा था, वाके ग्राम मांदला कलां में स्थित है। अपीलांट का दादा रूग्गा व मुरली पुत्रान बोदन उक्त आराजी के काश्तकार खातेदार थे, जिसका इन्द्राज जमांबंदी संवत 2012 में दर्ज है। लेकिन विवादित आराजी पर तन्हा अपीलांट ही काबिज है। किसी अन्य का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है। अपीलांट विवादित आराजी पर बुजुर्गों के समय से काबिज चला आ रहा है। अपीलांट ने फसल बोई हुई है। संवत 2020 में सेटलमेंट के दौरान आराजी खसरा नंबर 96 रकबा 3 बीघा जुम्मा पुत्र चम्पा जोगी, जो कि रेस्पो0 का पिता था, का नाम गलत प्रकार से दर्ज कर दिया गया तथा इसके आधार पर ही संवत 2033 में विवादित आराजी को रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दिया गया। जबकि रेस्पो0 विवादित आराजी से गैरकाबिज गैरवास्ता हैं। हल्का पटवारी व सरपंच ग्राम पंचायत मिलकपुर से कब्जे की जांच कराई जा सकती है। उक्त भूमि के बाबत रेस्पो0 के नाम कोई पटटा जारी नही किया गया है। लेकिन उक्त गलत इन्द्राज की आड में दीगर लोगों को आराजी मुतनाजा को रहन बय आदि के मुंतकिल मकफूल करने पर उतारू है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आराजी पर रेस्पो0 का कब्जा मानने में अहम कानूनी भूल की है। जब विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख को अपीलांट ने गलत व खिलाफ मौका खिलाफ कानून बताते हुये वाद में चुनौती दी है तो केवल कागजात माल में नाम अंकित होने से रेस्पो0 का कब्जा विवादित आराजी पर नही माना जा सकता है। किन्तु तहत अदालत ने केवल गलत रिकार्ड की बिना पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। तहत अदालत को प्रथमदृष्टया विवादित आराजी पर कब्जे का बिंदु देखना चाहिये था। साबिक रिकार्ड में अपीलांटस के दादा रूग्गा व मुरली पुत्रान बोदन का नाम बतौर खातेदार दर्ज है, जिसकी ताईद जमाबंदी संवत 2012 से बखूबी होती है।तहत अदालत ने दोनों ही पृथक पृथक प्रार्थना पत्रों का एक साथ निस्तारण करके अहम कानूनी भूल की है। जबकि

दोनों मुकदमें में पक्षकारान व विवादित आराजी पूरी तरह समान नही है। इसलिये तहत अदालत को दोनों प्रार्थना पत्रों का अलग अलग निर्णय करना चाहिये था। रेस्पो0 द्वारा केवल धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया था जो कानूनन चलने योग्य नही है क्योंकि विवादित आराजी कस्टोडियन भूमि दर्ज रिकार्ड है व रेस्पो0 गैरखातेदार दर्ज है। कस्टोडियन भूमि की बाबत केवल हुक्मईम्तनाई का दावा कानूनन चलने योग्य नही होता है। ऐसी स्थिति में तहत अदालत को रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र खारिज करना चाहिये था। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा बखूबी साबित है। जिसका खण्डन रेस्पो0 द्वारा किसी भी साक्ष्य से नही किया गया। तहत अदालत ने अपने निर्णय के पृष्ठ संख्या 5 के द्वितीय पैरा में यह अंकित किया है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार है, जो कि सरासर गलत व खिलाफ रिकार्ड है। जबकि विवादित आराजी कस्टोडियन दर्ज है और रेस्पो0 बतौर गैरखातेदार दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि तहत अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का कोई अवलोकन नही किया है और मनमाना निर्णय पारित किया है।अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा निर्णय अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23.02.2011 को निरस्त फरमाया जावे।

जबाव बहस में अधिवक्ता रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजीयात खेवट संख्या 133 में वर्णित आराजीयात खसरा नंबर 106 रकबा 0.16 ऐयर एवं खसरा नंबर 115 रकबा 0.76 ऐयर वाके ग्राम मांदला कला तहसील रामगढ प्रार्थीगण रेस्पो0 संख्या 01 लगायत 04 एवं प्रार्थीगण रेस्पो0 संख्या 5 व 6 बहैसियत मृतक समसू पुत्र जुम्मा स.भा. के वारिसान के कब्जे काश्त गैरखातेदारी की आराजी है। जिस कस्टोडियन काश्त की भूमि पर अर्से से प्रार्थीगण रेस्पो0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। और वर्तमान में भी काबिज कृषक है।रेस्पो0 के नाम का अंकन हाल खतौनी संवत 2058 में गैरखातेदारान के रूप में किया हुआ है। और लफे हाजा वाद संलग्न खसरा गिरदावरी ग्राम मांदला कलां तहसील रामगढ संवत 2061 से भी प्रार्थीगण रेस्पो0 के कब्जे काश्त कृषक साबित है। समसू फौत हो जाने के बाद से रेस्पो0 संख्या 5 व 6 बहैसियत वारिस काबिज जायदाद विवादित आराजी मुतनाजा के 1/5 हिस्सा पर काबिज है।इस प्रकार वादीगण रेस्पो0 1/5–1/5 हिस्सा विवादित आराजी पर काबिज कृषक हैं जो अबट आराजीयात है। अपीलांट का उक्त विवादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई वास्ता व सरोकार नही है। लेकिन अपीलांट, रेस्पो0 को विवादित आराजी से बेदखल करने पर उतारू है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। तहत न्यायालय के आदेश दि0 23.02.2011 का अवलोकन किया ।

तहत अदालत के आदेश दिनांक 23.02.2011 में प्रार्थना पत्र संख्या 2/199 एवं 2/201 का एक साथ आदेश के मुखपृष्ठ पर प्रार्थी/अप्रार्थीगण अंकित तो किए गए हैं, परन्तु निर्णय की विवेचना तथा आदेश से यह स्पष्ट नहीं है कि निर्णय में किस को (प्रार्थी/अप्रार्थी) अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया गया है।

निर्णय में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तत्वों की बिन्दुवार विवेचना नहीं की गई है।

जमाबंदी ग्राम मांदला कलां सम्वत् 2013 में कॉलम संख्या 5 में उक्त भूमि मुरली वल्द बोदन जाति मेव साकिनदेह पट्टेदार 1 वर्ष अंकित है तथा इसी वर्ष की खसरा गिरदावरी

में भी अंकन है, जबकि सम्वत् 2058 में आवंटन से जगरूप, सगरू, लल्लू, खिल्लू, समसू, पप्पू पि. जुम्मा जाति जोगी के नाम गैरखातेदार (कस्टोडियन) अंकन है।

हाल की खसरा गिरदावरी न तो प्रार्थी न अप्रार्थी की शामिल पत्रावली में है।

चूंकि अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य, दस्तावेजों के आधार पर तय किया जाएगा। अतः वादों की बहुलता को रोकने हेतु न्यायहित में आवश्यक है कि विवादित आराजियात के रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति को बनाये रखा जावें।

अतः रेस्पोडेण्ट को आदेशित किया जाता है कि विवादित आराजियात की रिकॉर्ड एवं मौके की स्थिति बनाये रखे।

चूंकि हकों का निर्धारण मूल वाद में तय किया जाना है। इस प्रकार अपील अपीलांट काबिल स्वीकार है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी रामगढ के निर्णय दिनांक 23.02.2011 निरस्त किया जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अपील निर्णय दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक शामिल किया जावे।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर